Phone: 011-22520242 (Technical Query) [redacted]
Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affi.)
Fax: 011-22540655

E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301

REGD./SPEED POST
Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277 Dated: 08.07.2013

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE

Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(I) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting held on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:

Existing Rule 3.3 (I) chapter II	Amended Rule 3.3 (I) chapter II
The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. Its application either should be forwarded by the State Govt. or there should be a No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of the school with the CBSE. "No Objection Certificate" once issued to any school will be considered at par even if it s prescribes a specific period of *stage unless it is withdrawn. Condition of submitting a No Objection Certificate will not be applicable to categories 3.1(i) to (iv)	The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government or otherwise it would be assumed that concerned State/U.T. Government has No objection.

The above amendment is brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(U C BODH)
DEPUTY SECRETARY (AFF.)
09/07/13

Copy for information to the following:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18- Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New-Delhi-110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201307, District Gautam Budh Nagar, (Uttar Pradesh).
3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054.

(Virender Singh)
Principal
Ambition Public School
15 SGR, Suratgarh
DDO:-105-524

राकेश
(Rakesh)
Secretary

राजवीर
MANAGER
AMBITION PUBLIC SCHOOL
5 SGF SURATGARH(Raj)

Contd....2....

REG.NO.-12/923 REG.NO. 76/SGNR/2011-12

AMBITION PUBLIC SCHOOL

AN ENGLISH MEDIUM CO-EDUCATIONAL DAY-SCHOLAR SCHOOL
N.H.-15, Suratgarh –Sri Ganganagar Road, 15 SGR, Suratgarh (Raj.)

To, Date: 25/04/16

District Education Officer (Secondary)

Dist.- Srigangangar, Rajasthan

Subject: - Regarding to notify that our school applied for the Provisional affiliation upto Secondary level from CBSE, New Delhi

Respected Sir/Madam,

Ambition Public School, 15 SGR, Village- 15 SGR, P.O.- Sardarpura Bika, Tehsil Suratgarh, is currently affiliated from District Education Office, Sriganganagar (DEO, Elementary). School is currently affiliated from Nursery to 8th Class , Affiliation No: 12/923(For Primary) & 13/4874 (for Upper Primary). For upcoming session 2016-2017, We had applied for provisional affiliation upto secondary level from Central Board of Secondary Education(CBSE), New Delhi.

As per Circular No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277, CBSE waives off the requirement of NOC from state Govt or Concerned Education Department. However, As per Amended Rule 3.3 (I) chapter II, The school seeking provisional affiliation with the board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and school had to intimate concerned Education Department. Regarding this, School already have formal prior recognition of State /U.T. Govt. and we also intimated to Concerned Education Department.

Copy of the earlier communication has been attached with this.

Kindly consider this as the fresh information from the school.

Thanks & Regards,

Principal

Encl: As Above

(Virender Singh)
Principal
Ambition Public School
15 SGR, Suratgarh
DDO:-105-524

(Rakesh)
Secretary

28/04/2016

407
4.16

PRINCIPAL
AMBITION PUBLIC SCHOOL
15 SGR SURATGARH(Raj.)

राजवीर
MANAGER
AMBITION PUBLIC SCHOOL
15 SGF SURATGARH(Raj.)

राजवीर
MANAGER
AMBITION PUBLIC SCHOOL
15 SGF SURATGARH(Raj.)

REG.NO.-12/923 REG.NO. 76/SGNR/2011-12

AMBITION PUBLIC SCHOOL

AN ENGLISH MEDIUM CO-EDUCATIONAL DAY-SCHOLAR SCHOOL
N.H.-15, Suratgarh –Sri Ganganagar Road, 15 SGR, Suratgarh (Raj.)

To,
District Education Officer (Elementry)
Dist.- Srigangangar, Rajasthan

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. श्रीगंगानगर
प्राप्ति क्रमांक 204
दिनांक 25.4.16

Subject: - Regarding to notify that our school applied for the Provisional affiliation upto Secondary level from CBSE, New Delhi

Respected Sir/Madam,

Ambition Public School, 15 SGR, Village- 15 SGR, P.O.- Sardarpura Bika, Tehsil Suratgarh, is currently affiliated from District Education Office, Sriganganagar (DEO, Elementary). School is currently affiliated from Nursery to 8th Class , Affiliation No: 12/923(For Primary) & 13/4874 (for Upper Primary). For upcoming session 2016-2017, We had applied for provisional affiliation upto secondary level from Central Board of Secondary Education(CBSE), New Delhi.

As per Circular No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277, CBSE waives off the requirement of NOC from state Govt or Concerned Education Department. However, As per Amended Rule 3.3 (I)-chapter II, The school seeking provisional affiliation with the board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and school had to intimate concerned Education Department. Regarding this, School already have formal prior recognition of State /U.T. Govt. and we also intimated to Concerned Education Department.

Copy of the earlier communication has been attached with this.

Kindly consider this as the fresh information from the school.

Thanks & Regards,
Principal

Encl: As Above

MANAGER
AMBITION PUBLIC SCHOOL
15 SGR, SURATGARH(Raj.)

PRINCIPAL
AMBITION PUBLIC SCHOOL
15 SGR, SURATGARH(Raj.)

(Virender Singh)
Principal
Ambition Public School
15 SGR, Suratgarh
DDO:-105-524

(Rakesh)
Secretary

MANAGER
AMBITION PUBLIC SCHOOL
15 SGR, SURATGARH(Raj.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक – जिशिअ/प्राशि/गंगा/मान्यता/13/ 4874 दिनांक :– 20/11/13

प्रबन्धक,
एम्बीशन शिक्षण समिति
15 एसजीआर (सूरतगढ)।

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक 30.03.2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं एम्बीशन पब्लिक स्कूल 15 एसजीआर (सूरतगढ) को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए **(माध्यम अंग्रेजी)** अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक प्रथक बैक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकीया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   (I) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।
   (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (I) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूतम अर्हताएं अर्जित करेगें।
   (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और
   (VIII) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रि याकलापों में नियोजित नहीं करेगें।
8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्र म का पालन करेगा।
9. विधालय अधिनियम की धारा –19 के अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विधालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है :–

विधालय परिसर का क्षेत्र 12500 **वर्गमीटर**
कुल निर्मित क्षेत्र 2000 वर्ग **मीटर**
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल 00 वर्ग मीटर
कक्षा कमरों की संख्या – 12
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह –भंडार कक्ष – 01
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – 04
पेयजल सुविधा – **उपलब्ध है।**
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई – **नहीं**
बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है।

11. विधालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।
12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विधालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विधालय को आंवटित **मान्यता कोड संख्यांक 0013** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत , अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाऐं।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाऐं।
19. संलग्न उपाबन्ध– III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा० शि० श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक – जिशिअ / प्राशि / गंगा / मान्यता / 12 / 923 दिनांक – 28/09/2012

प्रबन्धक,
एम्बीशन शिक्षण समिति, 15 एसजीआर,
सूरतगढ।

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक 29.02.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै **एम्बीशन पब्लिक स्कूल, सूरतगढ, श्रीगंगानगर** को दिनांक 28.09.2012 से दिनांक 28.09.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक कक्षा से कक्षा 5 तक (अग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक प्रथक बैक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   (I) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।
   (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (I) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूतम अर्हताएं अर्जित करेगें।
   (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

21

(VIII) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विधालय अधिनियम की धारा –19 के अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10. विधालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएें निम्नानुसार है :–

विधालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरों की संख्या – 05

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह –भंडार कक्ष – 02 (दो)

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – उपलब्ध है।

पेयजल सुविधा – उपलब्ध है।

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई – नहीं

बाधा रहित पहुंच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है।

11. विधालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएें नहीं चलाई जाएंगी।

12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विधालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विधालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक 0013 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत , अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाऐं।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाऐं।

19. संलग्न उपाबन्ध– III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रा0 शि0 श्रीगंगानगर